

बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार कक्षा-12

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है:-

- 2- अग्नि बीमा संविदा के आवश्यक तत्व।
- 3-अग्नि बीमा दावों का निपटारा एवं अग्नि बीमा में प्रीमियम निर्धारण।
- 4-अग्नि बीमा-पत्रों के प्रकार।
- 6-सामुद्रिक बीमा संविदा के आवश्यक नियम।
- 8-सामुद्रिक बीमा के वाक्यांश एवं सामुद्रिक हानियां।
- 10-विविध बीमा-(2) पशु बीमा (Cattle Insurance)।

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है-

इसमें 100 अंकों का केवल एक प्रश्न-पत्र समय 3 घण्टे का होगा।

- 1-सामान्य बीमा संगठन एवं प्रशासन एवं बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण। 12
- 2-अग्नि बीमा की परिभाषा एवं कार्य। अग्नि बीमा संविदा के आवश्यक तत्व। 10
- 3-अग्नि बीमा कराने की विधि। 10
- 5-अग्नि बीमा की शर्तें। 10
- 6-सामुद्रिक बीमा की परिभाषा एवं क्षेत्र-(विषय वस्तु)। 10
- 7-सामुद्रिक बीमा कराने की विधि एवं सामुद्रिक बीमा-पत्रों के प्रकार एवं प्रीमियम निर्धारण। 15
- 9-बीमा विधान, 1938 का संक्षिप्त परिचय। 15
- 10-विविध बीमा जैसे- 18
  - (1) फसल बीमा (Crop Insurance)।
  - (3) चोरी बीमा (Theft Insurance)।
  - (4) गाड़ी बीमा (Vehicle Insurance)।

**पुस्तकें**-कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं है। संस्था के प्रधान पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय अध्यापक के परामर्श से पुस्तक का चयन कर लें।